न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2013 निगरानी R 2502-I/14

आवेदक — बुन्देल सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह दांगी निवासी डाबर तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 08/08/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8.8.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अनावेदकगण

1. श्रीमती रंजीत कौर पत्नी कुलविन्दर सिंह
2. श्रीमती हरविन्दर उर्फ हरिन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह

निवासीगण ग्राम अटारी खेजडा, तहसील गुलाबगंज विदिशा म.प्र.

3. रूपसिह पुत्र बुन्देलसिंह दांगी निवासी डाबर तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

08/8/14
(L.S. Dhakad Adv.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2502–एक/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 13–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 एवं धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उसने प्रश्नाधीन भमि अनावेदक क. 3 से दिनाक 20.10.09 को पंजीकृत विकयपत्र से कय की थी उक्त भूमि अनावेदक क. 3 को आवेदक से आपसी पारिवारिक बटवारे में प्राप्त हुई । भूमि कय करने के उपरांत उसका दिनांक 26.11.09 को नामांतरण पंजी क. 2 द्वारा विधिवत नामांतरण हो गया था तथा नामांतरण उपरांत राजस्व अभिलेखों में उसका नाम बतौर भूमिस्वामी दर्ज हो गया । बाद में उसका नाम एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 12.10.10 का उल्लेख कर बिना उसे सूचना दिए अवैधानिक रूप से हटा दिया गया है तथा आवेदक का नाम दर्ज किया गया है । अतः उक्त त्रुटि का सुधार करते हुए उसके द्वारा कय की गइ उक्त भूमि पर उसका नाम पूर्ववत दर्ज किया जाये । इस आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आवेदक को नोटिस जारी कर आहूत किया गया । आवेदक द्वारा अपना जबाव पेश करते हुए	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर
	प्रकरण की प्रचलन शीलता पर आपत्ति की । दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रकरण प्रचलनशीलता के संबंध में प्रस्तुत आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने का आदेश दिया एवं प्रकरण अनावेदकों की साक्ष्य/प्रमाण हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उन्होंने वर्ष 1970 में क्रय की थी । अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा अवैध रूप से पंजी पर दिनांक 26.11.09 को नामांतरण करा लिया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस. डी.ओ. के समक्ष अपील की जिसमें उन्होंने 16.12.10 को आदेश पारित करते हुए पूर्व स्थिति रिकार्ड में कायम करने के निर्देश दिए । उसी आधार पर आवेदक का नाम दर्ज किया गया था । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के यहां अपील अभी लंबित है ऐसी स्थिति में अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत कार्यवाही प्रचलित रख कर अवैधानिकता की है क्योंकि संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही स्वप्रेरणा से की जा सकती है और संहिता की धारा 116 में एक वर्ष की अवधि में त्रुटि सुधार का आवेदन दिया जा सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा 4 वर्ष उपरांत आवेदन दिया गया है । 4/ अनावेदक क्र. 1 एवं 2 द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक की सहमति के आधार पर विक्रयपत्र हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में कोई अवैधानिकता नहीं है ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2502–एक/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5/ अनावेदक क. 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनके द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है इस संबंध में उन्होंने शपथपत्र भी पेश किया है । 6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति की थी जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन का निराकरण उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण एवं सुसंगत तर्क प्रस्तुत करने के समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत ही विधिसंगत आदेश पारित किया जानाउचित होगा और उन्होंने आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने का आदेश दिया है । प्रकरण में कोई ऐसा आदेश नहीं है जो पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव डालता हो । अभी उभयपक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्ताक्षर का कोई आधार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	